समाहरणालय, मधेपुरा

(स्वीप कोषांग)

दिनांक 16-04-2019 को राज्य आयुक्त निःशक्तता की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष, मधेपुरा में लोकसभा आम चुनाव-2019 में दिव्यांगजनों को सुगम एवं समावेशी मतदान के निमित्त की गयी समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त -सह- वरीय पदाधिकारी, स्वीप कोषांग द्वारा बैठक में राज्य आयुक्त निःशक्तता का स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

(1) PwDs मतदाता :-

नोडल पदाधिकारी, SVEEP & PwDs कोषांग, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि लोकसभा आम चुनाव-2019 में दिव्यांगजनों को सुगम एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निदेशानुरूप न्यूनतम व अन्य सम्बद्ध सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त हुए है।

नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि PwDs मतदाता का विधानसभावार स्थिति निम्नवत् है :-

AC No & Name	Block	Total Locomotor Disability	Total Visual Disability	Total Hearing Disability	Total Mutliple Disability	Total Intellectual Disabilities	OTHER	Total	Booth Related To PwDS
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70- Alamnagar	Udakishunganj	198	110	21	16	4	73	422	63
	Puraini	137	72	16	6	12	111	354	49
	Alamangar	322	94	14	7	29	310	776	97
	Chousa	358	148	62	61	55	29	713	92
	TOTAL:-	**1015**	**424**	**113**	**90**	**100**	**523**	**2265**	**301**

AC No & Name	Block	Total Locomotor Disability	Total Visual Disability	Total Hearing Disability	Total Mutliple Disability	Total Intellectual Disabilities	OTHER	Total	Booth Related To PwDS
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71- Bihariganj	Murliganj	275	76	46	78	23	121	619	84
	Bihariganj	342	118	37	15	31	124	667	81
	Gawalpara	316	95	31	21	23	94	580	74
	Udakishunganj	187	50	22	11	5	52	327	46
	TOTAL:-	**1120**	**339**	**136**	**125**	**82**	**391**	**2193**	**285**

AC No & Name	Block	Total Locomotor Disability	Total Visual Disability	Total Hearing Disability	Total Mutliple Disability	Total Intellectual Disabilities	OTHER	Total	Booth Related To PwDS
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72- Singheshwar (SC)	Singheshwar	255	60	29	2	25	60	431	73
	Shankarpur	319	100	58	31	39	211	758	72
	Kumarkhand	616	373	75	164	244	305	1777	153
	TOTAL:-	**1190**	**533**	**162**	**197**	**308**	**576**	**2966**	**298**

AC No & Name	Block	Total Locomotor Disability	Total Visual Disability	Total Hearing Disability	Total Mutliple Disability	Total Intellectual Disabilities	OTHER	Total	Booth Related To PwDS
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73- Madhepura	Gamharia	2	45	32	20	35	169	303	55
	Ghailarh	262	102	35	23	29	128	579	54
	Madhepura	343	149	79	19	142	307	1039	156
	Murliganj	104	50	16	21	15	28	234	41
	TOTAL:-	**711**	**346**	**162**	**83**	**221**	**632**	**2155**	**306**

(2) PwDs (Gender Wise) मतदाता की विवरणी :-

समीक्षा के क्रम में नोडल पदाधिकारी, SVEEP एवं PwDs कोषांग, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि PwDs (Gender Wise) मतदाता की विवरणी निम्न प्रकार है :-

Type of Voter	70- Alamnagar	71- Bihariganj	72- Singheshwar	73- Madhepura
1	2	3	4	5
Female	607	578	1047	647
Male	1658	1615	1919	1508
Total	**2265**	**2193**	**2966**	**2153**

(3) निःशक्त मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधा :-

नोडल पदाधिकारी, स्वीप कोषांग द्वारा बताया गया कि निःशक्त मतदाताओं को लोकसभा चुनाव, 2019 में सुगम मतदान हेतु निम्न सुविधायें दी जायेंगी :-

- सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्प की व्यवस्था की गई है ताकि निःशक्त मतदाता सहजता से मतदान कर सके।
- सभी मतदान केन्द्रों पर पेयजल, बिजली, शौचालय एवं निःशक्त मतदाताओं को बैठने की व्यवस्था की जा रही है।
- निःशक्त जनों को सहज मतदान में सहयोग हेतु VOLUNTEERS की प्रतिनियुक्ति की गई है।
- गति विषयक निःशक्ता वाले मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था कुल-104 बुथों में की गई है।
- गति विषयक निःशक्ता वाले मतदाताओं के लिए प्रत्येक प्रखण्ड में वाहन की व्यवस्था की जा रही है जिसे माँग के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।
- हेल्प लाइन नं0 - 1950 पर काई भी निःशक्त मतदाता मतदान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- निःशक्त मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर पहुँचने के पश्चात Green Channel के माध्यम से उन्हे बिना पंक्ति में लगाये सीधे मतदान कराने की विशेष सुविधा प्रदान की गई है।

(4) राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा निम्नांकित निदेश दिये गये :-

1. मतदाता सूची के आधार पर प्रति मतदान केन्द्रानुसार दिव्यांगजनों की सूची, दिव्यांगता का प्रकार अंकित करते हुए, अलग से तैयार की जाए। दिव्यांग मतदाताओं का शत-प्रतिशत मोबाईल नम्बर प्राप्त करने का निदेश नोडल पदाधिकारी, स्वीप कोषांग को दिया गया। दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए, जहां तक संभव हो सके, डम्मी बैलेट पेपर की व्यवस्था करना।

2. प्रत्येक मतदान केन्द्र के संबंध में बी0एल0ओ0 द्वारा दिव्यांगजनों की पहचान, उनके दिव्यांगता का प्रकार सहित की जाए तथा संबंधित अभिलेख डाटाबेस में संधारित किए जाए।

3. दिव्यांगजनों के मतदान संबंधी तैयार निर्देशों को मतदान केन्द्रों के बाहर प्रदर्शित किया जाए।

4. दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के संबंध में, जहां तक संभव हो सके, मतदाता मार्गदर्शिका, मतदाता पर्ची तथा मतदाता पहचान पत्र ब्रेल लिपि में तैयार किया जाए। दृष्टिबाधित के लिए ब्रेललिपि डमी बैलेट पेपर पर मतदान से पहले आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देने का निदेश नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग को दिया गया।

5. दिव्यांग मतदाताओं के प्रयोग हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा यथा निदेशित व्हील चेयरों की अभिष्ट संख्या में व्यवस्था कर ली जाए। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले आने एवं

वापस ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था आदि करने का निदेश नोडल पदाधिकारी, स्वीप कोषांग को दिया गया, जिसमें चिन्हित मतदान केन्द्रों पर व्हील चेयर पी0सी0सी0पी0 के साथ उपलब्ध हो। राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा सभी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के आने-जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया। साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को इस संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का निदेश उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा एवं जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया।

6. दिव्यांगजनों के मतदान कार्य के सुविधार्थ प्रशिक्षण प्रदत्त निष्पक्ष युवा स्वयंसेवकों की व्यवस्था की जाए।

7. दिव्यांग मतदाताओं की आवश्यकतानुरूप यथोचित मतदान मार्गदर्शिका की व्यवस्था कर ली जाए।

8. प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए दिव्यांग मतदाताओं हेतु निम्न न्यूनतम सुनिश्चित सुविधाएँ (Assured Minium Facility-AMF) की व्यवस्था कर ली जाए :-

- राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उचित ढ़ाल (Gradient) के साथ स्थायी रैम्पों की व्यवस्था।
- ई0वी0एम0 में ब्रेल सुविधा की व्यवस्था।
- मतदान केन्द्रों पर उचित एवं पर्याप्त पहुंच की सुनिश्चितता।
- मतदान केन्द्रों पर यथोचित पार्किंग सुविधा।

9. दिव्यांगजनों के सुविधार्थ मतदान कर्मियों को यथोचित प्रशिक्षण तथा आवश्यकताओं के प्रति संवेदित किया जाना।

10. उचित वातावरण निर्माण तथा स्वीप कार्यक्रमों का संचालन।

11. उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में सभी संबंधित यथा- दिव्यांगजनों, राजनीतिक पार्टियों, मीडिया के मध्य सूचनाओं का प्रसार किया जाना।

12. जहां तक संभव हो सके, दिव्यांगजनों की आवश्यकतानुसार अन्य सुविधाओं यथा- उचित शौचालयों, मतदान केन्द्रों के बाहर टेकटाइल चिन्ह तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि में चुनाव मार्गदर्शिका की व्यवस्था।

13. दृष्टिबाधित दिव्यांग मतदाताओं के निबंधन हेतु ऑडियो अप्लीकेशन यथा- व्याईस एस0एम0एस0 इत्यादि की व्यवस्था।

14. दिव्यांग मतदाता हेतु इपिक कार्ड निर्गत करने का निदेश उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया।

15. दिव्यांग मतदाताओं को मतदान हेतु समग्र शिक्षा के रिसोर्स शिक्षक, बुनियाद केन्द्र के विशेषज्ञ, जीविका को इस अभियान में शामिल करने का निदेश नोडल पदाधिकारी, स्वीप कोषांग को दिया गया।

16. दिव्यांग मतदाताओं किस-किस क्षेत्र में है, उसका मैपिंग करने का निदेश नोडल पदाधिकारी, स्वीप कोषांग को दिया गया, ताकि मतदान के दिन आसानी से उक्त दिव्यांग मतदाताओं को सम्पर्क स्थापित कर मतदान केन्द्र तक लाया जा सके।

17. पोस्ट कार्ड के माध्यम से दिव्यांग मतदाताओं को मतदान हेतु निमंत्रण भेजने का निदेश दिया गया, ताकि दिव्यांग मतदाताओं के बीच उत्साह का माहौल हो। इस संबंध में संबंधित बी0एल0ओ0 को भी विशेष जानकारी देने का निदेश नोडल पदाधिकारी, स्वीप कोषांग को दिया गया।

18. दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर ग्रीन चैनेल के माध्यम से सीधे मतदान करने का अवसर प्रदान करवाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का निदेश नोडल पदाधिकारी, स्वीप कोषांग को दिया गया।

19. राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा नोडल पदाधिकारी, स्वीप कोषांग को जिले के सभी दिव्यांग मतदाताओं की सूची सिविल सर्जन, मधेपुरा /जीविका, आई0सी0डी0एस0 को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, ताकि उस सूची के आधार पर वैसे दिव्यांग मतदाता, जिनका दिव्यांग प्रमाण–पत्र नहीं बना हो, उनका प्रमाण–पत्र मतदान तिथि से पहले बनाया जा सके। साथ ही जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा एवं डी0पी0एम0, जीविका को निदेश दिया जाता है कि सूची के आधार पर दिव्यांग मतदाताओं का दिव्यांग प्रमाण–पत्र बना है या नहीं, यह प्रमाणित करेंगे एवं उक्त प्रतिवेदन स्वीप कोषांग को स–समय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

20. राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा नोडल पदाधिकारी, स्वीप कोषांग को निदेश दिया गया कि मतदान जागरूकता हेतु यथाशीघ्र मधेपुरा लोकसभा क्षेत्रान्तर्गत दिव्यांग आईकॉन को चिन्हित करना सुनिश्चित करें।

21. राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा व्हील चेयर के उपयोगिता के संबंध में पृच्छा की गयी एवं निदेश दिया गया कि मतदान केन्द्रों पर मतदान के दिन प्रतिनियुक्त किये जाने वाले स्वयंसेवकों को व्हील चेयर के उपयोगिता के संबंध में भी प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करेंगे।

22. राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा एवं नोडल पदाधिकारी, स्वीप कोषांग को निदेश दिया गया कि सभी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगजनों के मूलभूत सुविधाओं हेतु सभी आवश्यक साईनेज लगाना सुनिश्चित करेंगे।

23. जो दिव्यांगजन पहली बार मतदान करेंगे, उन्हें सम्मान पत्र प्रदान किया जाए।

24. सभी मतदान केन्द्र पर दिव्यांगों के लिए सुविधामुक्त शौचालय एवं पार्किंग की व्यवस्था आवश्यक है।

25. मतदान केन्द्र पर यथोचित Signage की व्यवस्था आवश्यक है।

26. जीविका /शिक्षा विभाग /बुनियाद केन्द्र के प्रतिनिधियों को निदेश दिया जाए कि दिव्यांगजनों मतदाताओं को मतदान करने हेतु जागरूक करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

27. जो मानसिक /बौद्धिक /बहुदिव्यांग /ऑटिज्म एवं प्रमस्तिष्क घात (Cerebral Palsy) रूप से दिव्यांग है, उनका अपने माता–पिता या Legal Guardian के सहयोग से मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन–वरीय पदाधिकारी /नोडल पदाधिकारी, स्वीप कोषांग /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 /सिविल सर्जन, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी /उप निर्वाचन पदाधिकारी /सभी अनुमण्डल पदाधिकारी /डी0पी0एम0, जीविका /सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी, मधेपुरा जिला)

अन्त में राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार द्वारा स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में लोक सभा आम चुनाव–2019 सम्पन्न कराने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के अपील के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

16.4.19
नोडल पदाधिकारी
स्वीप कोषांग

16.4.19
वरीय पदाधिकारी
स्वीप कोषांग

16.04.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता
बिहार

ज्ञापांक......27......../स्वीप, मधेपुरा, दिनांक....16.04.2019

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी वरीय पदाधिकारी /सभी नोडल पदाधिकारी, लोकसभा चुनाव, 2019 /सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /सभी अंचलाधिकारी /सभी थानाध्यक्ष /सभी संबंधित पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिलाधिकारी, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : सामान्य प्रेक्षक /व्यय प्रेक्षक /पुलिस प्रेक्षक, मधेपुरा जिला को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रमण्डलीय आयुक्त –सह– PwDs ऑब्जर्बर, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : अपर आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

16.4.19

वरीय पदाधिकारी
स्वीप कोषांग